

**पूर्वोत्तर रेलवे**  
**का.आ.सं.-79/2017**

मण्डल रेल प्रबंधक/(का.) वाराणसी के ज्ञापन सं०-का/191/राज/हा.आ./भाग- V/08-09, दिनांक 23.05.2017 के अनुसार हाऊस आफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित निम्न अभ्यर्थी को संविदा पर कैंसर संस्थान /वाराणसी के अंतर्गत पदभार ग्रहण करने की विधि से एक वर्ष तक के लिए हाऊस आफिसर के पद पर निम्नांकित शर्तों के साथ Engagment किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम सर्वश्री:	चिकित्सालय का नाम
1	डॉ.आयुष सोमवंशी	डॉ.वाई.पी.सिंह	कैंसर संस्थान, वाराणसी
2	डॉ.अंकित राज सिंह	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	कैंसर संस्थान, वाराणसी

नियम एवं शर्तें :-


- 1 यह डॉक्टर जिस दिन से कार्यभार ग्रहण करेंगे उन्हें उसी दिन से वेतन मानदेय के रूप में देय होगा।
  - 2 ये चिकित्सक प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
  - 3 प्रत्येक हाऊस आफिसर को मौजूद फ्लैट्स में से उपलब्ध रहने पर एक आवास निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। एक फ्लैट में दो या तीन हाऊस आफिसर के रहने की व्यवस्था होगी।
  - 4 आवास पर रेलवे टेलीफोन की व्यवस्था होगी।
  - 5 अस्वस्थ रहने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी।
  - 6 एक वर्ष में कुल 08 दिन आकस्मिक अवकाश सेवा अवधि के अनुपात में देय होगा।
  - 7 कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  - 8 सेवा अवधि की समाप्ति पर हाऊस आफिसर की सेवा बिना कारण बताये किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, या दोनों पार्टियों में से किसी भी ओर से 14 (चौदह) दिन अग्रिम सूचना देने पर ऐसा किया जा सकता है।
  - 9 एक वर्ष के सेवाकाल समाप्ति के उपरान्त सामान्य प्रथम श्रेणी मानार्थ पास कार्यस्थल से निवास स्थान तक के लिए जारी किया जा सकता है।
- यह आदेश जारी होने की तिथि से दस दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लेवे अन्यथा नियुक्ति हेतु आपकी असहमति मानी जायेगी।
- उपरोक्त पर मुचिनि/गोरखपुर की स्वीकृति प्राप्त है।

  
चिकित्सा निदेशक, कैंसर  
संस्थान/ वाराणसी  
दि. 23.05.2017

सं०-का/191/राज/हा.आ./भाग-V/08-09

प्रतिलिपि -

- 1 महाप्रबन्धक (का.)/गोरखपुर
- 2 मुचिनि/गोरखपुर
- 3 चिकित्सा निदेशक/ कैंसर संस्थान/वाराणसी
- 4 वमकांथि/वाराणसी
- 5 वमविप्र/वाराणसी
- 6 कार्याधी/राजपत्रित बिल
- 7 संबंधित कर्मचारी

  
कृते मण्डल रेल प्रबंधक(का.)